

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

पत्रांक :- 1766 /15-1, दिनांक, इलाहाबाद, नवम्बर, 21, 2017।
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी/नोडल अधिकारी,
औरया वन प्रभाग,
औरया।

विषय :- गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नेचुरल गैस पाईप लाईन झांसी औरया फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-1380/11-सी-एफपी/यू०पी०/अदर्स/23971/2017, दिनांक 17-11-2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 2186/15, दिनांक 21-11-2017 द्वारा गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नेचुरल गैस पाईप लाईन झांसी औरया फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में इलाहाबाद वन प्रभाग से सम्बन्धित उल्लिखित कमियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुये वांछित सूचना निम्न प्रकार इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जो आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

बिन्दु संख्या	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	लीज अवधि प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।	लीज अवधि प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	ईको क्लास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु गणना त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है।	ईको क्लास के अनुसार एन०पी०वी० की संशोधित गणना संलग्न है।
3	एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड नहीं है।	एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
4	ऑन लाईन पार्ट-2 के क्रमांक-2 में वन भूमि का क्षेत्रफल 0.013965 फीड किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें।	ऑन लाईन पार्ट-2 के क्रमांक-2 में वन भूमि का क्षेत्रफल 0.013965 था, संशोधित कर एक समान क्षेत्रफल 0.019365 अंकित कर दिया गया है।

भवदीय,

(राम कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

संख्या :- 1766 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद को उनको उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राम कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।